भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2308

(शुक्रवार, 9 मार्च, 2018/18 फाल्गुन, 1939 (शक) को दिया गया)

स्वच्छ भारत कोष

2308. श्री प्रताप सिम्हाः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्वच्छ भारत कोष (एसबीके) की स्थापना करने संबंधी सरकार का उद्देश्य वर्ष 2019 तक स्वच्छ भारत के उद्देश्य को हासिल करने के लिए कारपोरेट क्षेत्र से कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) और व्यक्तियों तथा लोकोपकारकों से अंशदान आकर्षित करना था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या एसबीके के लिए किए गए सभी दान कुल आयकर से 100 प्रतिशत कटौती के पात्र हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कारपोरेट/कंपनियां भी अपने सीएसआर प्रयासों के भाग के रूप में स्वच्छ भारत मिशन के लिए विशाल रूप से योगदान कर रही हैं और यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और एसबीके के अंतर्गत दिसंबर, 2017 तक वर्ष 2015, 2016 तथा 2017 में अंशदान की कितनी राशि प्राप्त हुई है; और

(घ) उक्त से संबंधित परियोजनाओं/कार्यकलापों और एसबीके से जारी की गई धनराशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विधि और न्याय एवं कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. पी. चौधरी)

(क): कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की **अनुसूची-VII** के अधीन स्वच्छ भारत कोष (एसबीके) को कंपनी द्वारा अधिनियम की धारा 135 के उपबंध के अधीन कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) में अंशदान करने के कार्यकलाप के रूप में शामिल किया गया है। 30.11.2017 तक एमसीए21 रजिस्ट्री में की गई फाइलिंग के अनुसार वर्ष 2014-15 और 2015-16 और 2016-17 के लिए कंपनियों द्वारा रिपोर्ट किए गए सीएसआर व्यय के भाग के रूप में 'स्वच्छ भारत कोष' में किया गया कुल अंशदान क्रमशः 94.52 करोड़ रुपये, 323.24 करोड़ रुपये और 89.35 करोड़ रुपये है।

(ख): कंपनियों द्वारा सीएसआर के अधीन स्वच्छ भारत कोष में किए गए अंशदान के लिए कर में कोई विशेष छूट नहीं दी गई है।

(ग) और (घ): अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, स्वच्छ भारत कोष में अंशदान को स्वीकार्य सीएसआर कार्यकलाप के रूप में शामिल किया गया है। मंत्रालय द्वारा ऐसी परियोजनाओं/कार्यकलापों और स्वच्छ भारत कोष में से दी गई राशि का वर्ष-वार ब्यौरा नहीं रखा जाता है।

*****